क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर
नीलामी की सूचना

यह संस्थान वैशाली नगर मुख्य द्वार से पुष्कर मार्ग, अजमेर मुख्य द्वार के मध्य क्षेत्र से कंटिली झाडियां, सफेदे, बबूल एवं सूखे पेडो को जड से हटवाने हेतु खुली बोली के माध्यम से नीलाम करने का इच्छुक है, इच्छुक व्यक्ति/फर्म संस्थान के सूचना पट्ट पर लगी नियम व शर्तो के आधार पर रूपये 25,000/--का केवल डिमाण्ड ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में "प्राचार्य, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर" (Principal, RIE, Ajmer) के नाम देय" संस्थान में दिनांक 24.04.2018 तक जमा करवाकर दिनांक 25.04.2018 को प्रातः 11.00 बजे खुली बोली में भाग ले सकते हैं (एक डिमाण्ड ड्राफ्ट के बदले एक ही व्यक्ति बोली में भाग ले सकता है),इच्छूक व्यक्ति/फर्म पेडों एवं झाडियों का अवलोकन हेतु संस्थान के कक्ष संख्या 43 में दिनांक 18.04.2018 से 20.04.2018 प्रातः 11.00 से सांय 3.00 बजे कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते हैं।

प्रशासनिक अधिकारी

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर

(परिसर एवं कल्याण शाखा)

फा. सं. 2–153/नीलामी/2013–14/

दिनांक 04.04.2018

विषय– दिनांक 25.04.2018 को प्रातः 11.00 बजे वैशाली नगर मुख्य द्वार से पुष्कर मार्ग, अजमेर मुख्य द्वार के मध्य क्षेत्र से कंटिली झाडियां, सफेदे, बबूल एवं सूखे पेडो को जड से हटवाने हेतु खुली बोली के माध्यम से नीलाम करने हेतु **नियम व शर्ते**

1 न्यूनतम बोली रूपये 5,00,000/– मात्र से प्रारंभ होकर एवं प्रति बोली बढोतरी में रूपये 10,000/– के क्रम में एवं अधिक ही बढाना अनिवार्य है ।

2 उच्चतम बोली की दर पर बोली छोडने के लिये संस्थान बाध्य नही है, संस्थान द्वारा गठित समिति की अनुशंसा पर प्राचार्य क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान,अजमेर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा ।

3 बोलीकर्ता को संयम एवं मर्यादा में रहकर बोली में भाग लेना होगा बोली के दौरान संस्थान द्वारा विडियोग्राफी भी करवाई जा सकती है ।

4 यदि संस्थान उच्चतम दर पर बोली छोडती है तो उच्चतम दर के व्यक्ति/फर्म को उसी समय हाथों–हाथ रूपये 2,00,000/–जमा करवाने होगें अन्यथा अमानत राशि जप्त की जा सकती है, शेष राशि पांच दिवस में संस्थान में जमा होने के पश्चात पेडों की कटाई जड से प्रारंभ की जा सकेगी , पेडों की कटाई के दौरान केवल उन्हीं पेडों को काटा जायेगा जिनकी बोली लगी है, उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जाकर संपूर्ण राशि जप्त कर ली जायेगी ।

5 अगर संस्थान उच्चतम दर की बोली पर नीलामी छुटती है तो उपर से क्रम संख्या एक, दो व तीन बोलीदाता की अमानत राशि रोककर शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी समय भी लौटाई जा सकती है ।

6 पेडों की कटाई एवं संस्थान से बाहर ले जाने का कार्य सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही की जा सकेगा, पेडों की कटाई के दौरान बोलीकर्ता या उनके श्रमिकों द्वारा संस्थान में किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसका पुर्नभरण बोलीकर्ता द्वारा किया जायेगा ।

7 पेडों की कटाई एवं संस्थान से बाहर ले जाने का सम्पूर्ण कार्य 05 दिवस के भीतर ही करना होगा, कटे हुये पेडों की लकडियां एवं झाडियां को बाहर ले जाने के लिये वाहन का प्रवेश व निकास वैशाली नगर मुख्य द्वार से ही द्वार पर पूर्ण विवरण यथा वाहन संख्या, श्रमिकों की संख्या, एवं नाम इत्यादि की सूची मुख्य द्वार पर प्रति दिन देकर प्रवेश लेना होगा और सांय कार्य समाप्ति पर सूचित कर ही द्वार से बाहर जाना होगा । कटे पेड/झाडियां ले जाने से पूर्व गेट–पास लेना अनिवार्य होगा

8 किसी भी प्रकार के विवाद पर न्याय क्षेत्र अजमेर रहेगा ।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है ।

4/4/2018

प्रशासनिक अधिकारी